प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लडा गया हो))

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा। लूणी—130 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन। निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में, मै घोषणा करता / करती हूँ कि

श्री महेन्द्र बिश्नोर्ड

(नाम)

5 रातानाडा एक्सटेंशन स्कीम रातानाडा जोधपुर

(पता)

जो इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त / राजिस्टर्ड राजनैतिक दल का नाम) उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने की लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :।

जोधपुर

दिनांक |: 11-12-2018

रिटर्निंग ऑफिसर

130—लूणी

रिटर्निंग अधिकारी

(130)-लूणी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ख्याच्छ अधिकारी एवं उपखण्ड मध्यस्ट्रेट लूणी

FORM -21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the people Act,1951

Election to the Legislative Assembly of the Rajasthan (state) from (130) LUNI Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961

I declare that -

Sh. MAHENDRA BISHNOI

(Name)

5 RATANADA EXTENSION SCHEME RATANADA JODHPUR

(Address)

sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised/registerd political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place: Jodhpur Date 11-12-2018

(Javed Ali) Returning Officer 130-LUNI

रिटर्निंग असंक्रकता (130)-सूची विधान सभा विश्रीयन क्षेत्र इनलम्ब अधिकारी एवं उनसाध्य मनिस्ट्रेट सूजी